[भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]
भारत सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, तारीख 23, मई......, 2017

अधिसूचना

सा.का.नि. .... राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, नई दिल्ली के अधीन राष्ट्रीय अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठन (एनओटीटीओ) में प्रशासनिक अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, राष्ट्रीय अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठन, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली, प्रशासनिक अधिकारी समूह 'क' पद भर्ती नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में लेवल :** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतन मैट्रिक्स में लेवल वह होगा जो इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि: उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता: वह व्यक्ति –
(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है या / विवाह की संविदा की है; जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है,
(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है / या विवाह की संविदा की है;
उक्तों पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति:** जहां केन्द्र सरकार का यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या उपयुक्त है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति: इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में लेवल	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति :भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथाविभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
प्रशासनिक अधिकारी	1* (2017)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में लेवल- 10 (रु56,100 रु.1,77,500)	लागू नहीं	लागू नहीं।	लागू नहीं।	लागू नहीं।	लागू नहीं।	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)।

* कार्य-भार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति: (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों या स्वायत्त या कानूनी संगठनों, अथवा पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं के अधीन ऐसे अधिकारी: (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हैं, या (ii) वेतन मैट्रिक्स लेवल-8 में दो वर्ष की नियमित सेवा रखते हों, या (iii) लेवल सात में तीन वर्ष नियमित सेवा रखते हों, और (ख) निम्नलिखित अर्हताएं और अनुभव धारण करते हैं: (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री। (ii) किसी सरकारी कार्यालय/ पब्लिक सैक्टर उपक्रम/ स्वायत्त निकाय/ कानूनी निकाय में लेखा, प्रशासन, संस्थापना कार्य में तीन वर्ष का अनुभव रखते हैं। **टिप्पणी 1:-** अन्यथा सुयोग्य आवेदकों के मामले में अर्हताएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर शिथिलनीय हैं। **टिप्पणी 2:-** यदि चयन के किसी चरण पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय हो कि अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के पर्याप्त अनुभव रखने वाले आवेदकों के, उनके लिए आरक्षित पदों को भरने के लिए उपलब्ध होने की संभावना नहीं है तो इन श्रेणी के आवेदकों के लिए अनुभव संबंधी अर्हताएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर शिथिलनीय हैं।	लागू नहीं।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

(संख्या ए.12018/01/2017-एमजी/एमएस)

(सुनील कुमार)
अवर सचिव, भारत सरकार
टेली: 23061436

प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
रिंग रोड, मायापुरी,
नई दिल्ली